राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः– प.3(14)संस्था / स्टे.मो.गै / वाहन चालक भर्ती / 2013/5072 जयपुर, दिनांक 05.07.2013

समस्त जिला कलक्टर,

विषय :– जिला पूल में रिक्त पदों पर वाहन चालकों की सीधी भर्ती के संबंध में।

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले से संबंधित पूल के वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से वाहन चालकों की भर्ती जिला स्तर पर ही किए जाने का निर्णय लिया गया है।

सीधी भर्ती हेतु जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

1. संबधित जिला कलक्टर या उनके प्रतिनिधि जो अति जिला कलक्टर स्तर से कम न हो।
2. जिला परिवहन अधिकारी,
3. यांत्रिक अभियन्ता
4. कोषाधिकारी

भर्ती हेतु पात्रता, चयन की प्रक्रिया, आवेदन पत्र के प्रारूप, जिलेवार रिक्त पदों की स्थिति तथा जारी किए जाने वाले विज्ञापन एवं विस्तृत सूचनाओं सहित विज्ञापन जो आपकी वेबसाईट पर डाला जाना है, का प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

कृपया मार्गदर्शन हेतु संलग्न विज्ञप्ति प्रारूप, विस्तृत विज्ञप्ति प्रारूप में जारी करने से पूर्व आपके जिले के संबंध में एवं आपके जिले के विशेष संदर्भ में संशोधित कराकर ही प्रकाशित कराया जाए एवं जारी कराया जाये।

वाहन चालकों की काफी समय से चल रहे रिक्त पदों के कारण अत्यधिक कठिनाई को देखते हुए अतिशीघ्र विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करें तथा इस हेतु जिला स्तर पर गठित समिति के सदस्यों को निर्देशित कर शीघ्र कार्यवाही सम्पन्न करायें।

विस्तृत विज्ञप्ति प्रारूप में आरक्षण संबंधी, आयु सीमा संबंधी, भर्ती हेतु पात्रता / योग्यता / छूट / अयोग्यता, वेतनमान एवं पेंशन प्रावधान, चयन प्रक्रिया, आवेदन पत्र व उस पर अंकित कराये जाने वाली मलभूत एवं न्यूनतम शर्तें, आवेदन शुल्क, आवेदन करने का तरीका तथा आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको अवलोकनार्थ भेजा जा रहा है।

कृपया ध्यान रहे कि उक्त विज्ञप्ति प्रारूप आदि में आपके जिले से संबंधित आवश्यक संशोधन आदि कराने के उपरांत ही अंतिम रूप से जारी किए जायें।

यह भी ध्यान रखा जाए कि आरक्षण में अ.जा. / अ.ज.जा / पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग / सहरिया जाति / टीएसपी क्षेत्र, इत्यादि का आरक्षण जो लागू हों, की शुद्ध गणना करके ही विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जाये।

यह भी ध्यान रखा जाये कि भर्ती का आधार ट्रेड टैस्ट है, जिसमें निम्नानुसार अंक देने होंगे :–

- ड्राइविंग टैस्ट के 50 अंक
- सिम्यूलेटर टैस्ट के 15 अंक
- रोड साईड रिपेयर का ज्ञान 25 अंक
- राजकीय अथवा राज्य सरकार के अधिनस्थ विभागों / उपक्रम, राज्य सरकार के निगम / बोर्ड / आयोगों में वाहन चालन अनुभव अधिकतम 10 अंक

राजकीय अथवा राज्य सरकार के अधिनस्थ विभागों/उपक्रम, राज्य सरकार के निगमों/बोर्ड/आयोगों में वाहन चालन अनुभव की गणना निम्नानुसार की जायेगीः—

1. जिन वाहन चालकों ने राजकीय अथवा राज्य सरकार के अधिनस्थ विभागों, राज्य सरकार के निगमों/बोर्ड/आयोगों में पूर्व में संविदा पर अथवा अन्यथा वाहन चलाया हो तो उन्हें अधिकतम 10 अंक दिये जायेंगे जो निम्न प्रकार देय होंगेः—
   (अ) 2 वर्ष का अनुभव पूर्ण होने पर — 2 अंक
   (ब) 3 वर्ष का अनुभव पूर्ण होने पर — 3 अंक
   (स) 4 वर्ष का अनुभव पूर्ण होने पर — 5 अंक
   (द) 5 वर्ष या अधिक का अनुभव होने पर — 10 अंक

   यह ध्यान रखा जाये कि ऐसा अनुभव प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांकवार विवरण सहित जारी होना चाहिए तथा मूल ही प्राप्त किया जाये एवं कोई भी शंका होने पर संबंधित विभाग से पुष्टि भी कराई जाये।

भवदीय

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
स्टेट मोटर गैराज विभाग

क्रमांक प.3(14)संस्था/स्टे.मो.गै./वा.चा./भर्ती/2013–14/ जयपुर दिनांक15 जुलाई, 2013

आदेश

राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम 1979 एवं संशोधित नियम 2013 के नियम 20 के अन्तर्गत ट्रेड टेस्ट 100 अंकों का निर्धारण किया गया है:–

विवरण	अंक
ड्राईविंग टेस्ट	50
सिम्यूलेटर टेस्ट	15
रोड साईड रिपेयर ज्ञान	25
राजकीय/अर्द्ध सरकारी/राजकीय उपक्रम आदि में वाहन चालन अनुभव	10
कुल अंक	100

ट्रेड टेस्ट में सफल रहे अभ्यर्थीयों में से ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों/उपक्रम, राज्य सरकार के निगमों, बोर्ड/आयोगों के वाहन चालन के अनुभव रखते हो उन्हें अनुभव अवधि के आधार पर अधिकतम 10 अंक दिये जा सकेंगे जो निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	विवरण	अंक
1	दो वर्ष पूर्ण होने पर	02 अंक
2	तीन वर्ष पूर्ण होने पर	03 अंक
3	चार वर्ष पूर्ण होने पर	05 अंक
4	पॉच वर्ष पूर्ण होने पर व अधिकतम	10 अंक

इस प्रकार ट्रेड टेस्ट में सफल रहे अभ्यर्थीयों द्वारा प्राप्त अंकों व अनुभव के अंकों के आधार पर मैरिट सूची तैयार कर अवधारित योग्यता क्रम में चयन की प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मोटर गैराज मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मोटर गैराज विभाग।
3. समस्त जिला कलक्टर(पूल) राजस्थान, सरकार।
4. नियन्त्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर।
5. मण्डलीय अधीक्षक, स्टेट मोटर गैराज उदयपुर/जोधपुर।

चन्द्र शेखर शर्मा
सहायक शासन सचिव

मार्गदर्शन हेतु प्रारूप

<u>राजस्थान सरकार</u>

कार्यालय जिला कलक्टर ....

क्रमांकः.................   दिनांकः ....

<u>विज्ञापन संख्या ....</u>

राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम 1979 व समय–समय पर संशोधित नियम के अर्न्तगत जिला पूल में **''वाहन चालकों''** की सीधीभर्ती के .... पदो पर ट्रेड टेस्ट के माध्यम से नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

कुल संभावित रिक्त पदो की संख्या निम्नानुसार हैः–

पदनाम	**जिला पूल में रिक्त पदों की कुल सं.**	**सामान्य**		**अनुसूचित जाति**		**अनुसूचित जनजाति**		**पिछडा वर्ग**		**विशेष पिछडा वर्ग**		**टीएसपी**	**सहरिया**
		पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०		
वाहन चालक	----												

नोटः– उपरोक्त पदों में कमी अथवा वृद्वि किये जाने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा। महिलाओं, उत्कृष्ट खिलाडियों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत रहेगा।

आरक्षण :– विज्ञापित उक्त पदों की रिक्तियों में आरक्षण राजस्थान सरकार के प्रचलित नियमानुसार देय होगा।

आयुः– आवेदक, 1 जनवरी, 2014 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आयु सीमा में छूट संबंधी प्रावधान लागू होगे।

आवेदन शुल्कः–सामान्य वर्ग /अन्य पिछडा वर्ग एवम् विशेष पिछडा वर्ग के आवेदको हेतु रूपये 300/–, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी है हेतु रूपये 150/– है, का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो '' संबंधित जिले के जिला कलक्टर ' के नाम से संबंधित जिले में देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न होगा। उपरोक्त शुल्क किसी भी परिस्थिति में नही लौटाया जावेगा।

नोटः– राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के अभ्यार्थियो एवम् राजस्थान राज्य के अ.पि.वि./वि.पि.व. के क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यार्थियो को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदक सामान्य श्रेणी का आवेदन भर कर आवेदन करे।

पद का वेतमानः– पी.बी.–1, 5200–20200, ग्रेड पे– रू. 2400/–(6) चयनित अभ्यार्थियो को दो वर्ष के प्रोबेशनकाल में 7900/– रूपये प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

भर्ती हेतु पात्रताः– सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं/बोर्ड से न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण, हल्का एवम् भारी वाहन चलाने का स्थाई लाईसेन्स, वाहन चालक के रुप में तीन वर्ष का वाहन चलाने का अनुभव, वजन 65 किलोग्राम से अधिक न हो, आखों की दृष्टि चश्मा रहित/सहित– 6 x 6, वाहन की रोड़ साईड़ रिपेयर का ज्ञान और वाहन चालन की दक्षता की जाँच ट्रेड टेस्ट द्वारा ली जावेगी।

अतः पात्रता की जांच/सत्यापन के समय किसी भी तरह अयोग्य पाये जाने पर अभ्यर्थी स्वंय जिम्मेदार होगा। इसमें विभाग किसी भी रूप में जिम्मेदार नही होगा।

आवेदन पत्र भेजने का पता एवं अन्तिम तिथिः– आवेदन निर्धारित प्रारुप मे भरे हुये व्यक्तिशः अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से **अन्तिम तिथि .... .2013 को सांय 5.00 बजे** तक स्वीकार्य होगें । आवेदन पत्र भेजने का पता है– <u>' ' संबंधित जिला कलक्टर (राज.)</u> । निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगे।

चयन का आधारः– राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम,1979 एवं समय–समय पर संशोधित नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अनुसूची में वर्णित ट्रेड टेस्ट के आधार पर चयन होगा।इस हेतु ट्रेड टेस्ट परीक्षण में ड्राइविंग टेस्ट के 50 अंक, सिम्यूलेटर टेस्ट के 15 अंक, रोड साइड मरम्मत का ज्ञान के 25 अंक, में से अंक दिये जायेगे। ट्रेड टेस्ट में सफल रहे अभ्यर्थीयों में से ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागो/उपक्रम, राज्य सरकार के निगमों/बोर्ड /आयोगों मे वाहन चालन अनुभव रखते हो उन्हे अनुभव अवधि के आधार पर अधिकतम 10 अंक दिये जा सकेंगे तथा ट्रेड टेस्ट में सफल रहे अभ्यर्थियो द्वारा प्राप्त अंको व अनुभव के अंको के आधार पर मैरिट सूची तैयार कर अवधारित योग्यता क्रम से चयन किया जाएगा।

भर्ती सें संबंधित शेष दिशा निर्देश, आवेदन पत्र व शपथ पत्र का प्रारूप तथा आवश्यक दस्तावेज की सूची का विस्तृत विज्ञापन जिला कलक्टर की वेबसाईट --------------------- पर दिनांक ....2013 से उपलब्ध होगा।

राज्य सरकार उपरोक्त विज्ञापन को कारण बताये बगैर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

जिला कलक्टर

मार्गदर्शन हेतु प्रारूप

पदों का विवरण

पोस्ट कोडः– 01 (पदनाम वाहन चालक)

क्र.स.	रिक्त पदो का स्थान	भरे जाने वाले कुल पद	सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछडा वर्ग		विशेष पिछडा वर्ग	सहरिया	उत्कृष्ट खिलाडी	भू०पूर्व सैनिक
			पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०	पु०	पु०		
1.	जिला पूल जयपुर	24												
2.	जिला पूल अलवर	13												
3.	जिला पूल झुन्झुनू	08												
4.	जिला पूल सीकर	08												
5.	जिला पूल दौसा	05												
6.	जिला पूल अजमेर	04												
7.	जिला पूल भीलवाडा	12												
8.	जिला पूल नागौर	12												
9.	जिला पूल टोक	04												
10.	जिला पूल भरतपुर	13												
11.	जिला पूल धौलपुर	06												
12.	जिला पूल करौली	08												
13.	जिला पूल सवाईमाधोपुर	08												
14.	जिला पूल बीकानेर	08												
15.	जिला पूल चूरू	06												
16.	जिला पूल हनुमानगढ	05												
17.	जिला पूल श्रीगंगानगर	06												
18.	जिला पूल जोधपुर	11												
19.	जिला पूल बाडमेर	08												
20.	जिला पूल जैसलमेर	02												
21.	जिला पूल जालौर	09												
22.	जिला पूल पाली	12												
23.	**जिला पूल सिरोही**	**05**												
24.	जिला पूल कोटा	01												
25.	**जिला पूल बांरा**	**08**												
26.	जिला पूल बूंदी	03												
27.	जिला पूल झालावाड	03												
28.	**जिला पूल उदयपुर**	**10**												
29.	**जिला पूल बासवाडा**	**03**												
30.	जिला पूल चित्तौडगढ	07												
31.	**जिला पूल डूगरपुर**	**05**												
32.	जिला पूल राजसमन्द	08												
33.	**जिला पूल प्रतापगढ**	**09**												
	योगः–	**254**												

नोट :– टीएसपी क्षेत्र से संबंधित जिलों में इस हेतु राजस्थान सरकार के नियमानुसार आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें।

अनूसूचित जाति एवम् अनूसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदो में से अनुसूचित क्षेत्रो के जिलों में अनूसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति के स्थानीय सदस्यों के लिये आरक्षित पदो की संख्या (टी. एस.पी.)

क्र.स.	रिक्त पदो का स्थान	भरे जाने वाले कुल पद	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सहरिया
1.	डूंगरपुर					
2.	उदयपुर					
3.	बासवाड़ा					
4.	प्रतापगढ़					
5.	सिरोही					
6.	बांरा					

संक्षिप्ताक्षरः पु०.–पुरूष, म०.– महिला, आरक्षण की स्थिति राज्य सरकार के निर्देशो एवम् नवीनतम नियमो के अध्ययाधीन परिवर्तनीय होगी।

आरक्षण

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवम् विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियो को राज्य सरकार की नीति के अनुरूप क्रमशः 16%, 12%, 21%, एवम् 1% आरक्षण का लाभ देय होगा। इस हेतु तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी/जिला कलक्टर द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनूसूचित क्षेत्रों के स्थानीय सदस्यों के लिये आरक्षण प्रचलित नियमों के अनुसार देय होगा।

स्पष्टीकरण

(1) राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व. के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

(2) विभाग द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में महिला, भूतपूर्व सैनिक 12.5% एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी 2% हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत रूप से होगा परन्तु जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उसे सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसके वे अभ्यर्थी है, उसे उस ही प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30% होगा, जिसमें से 8% विधवा महिला अभ्यर्थियों तथा 2% परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा । (विधवा महिला के मामलें में उसे सक्षम अधिकारी से जारी अपनी पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विछिन्न का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

(3) किसी वर्ग (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग) के पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा ।

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवम् उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर इनके आरक्षित पदो को सामान्य/पिछडा वर्ग एवम् विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियो से नहीं भरा जायेगा। किन्तु अन्य पिछडा वर्ग एवम् विशेष पिछडा वर्ग के पात्र एवम् उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर इस वर्ग के आरक्षित पदो को सामान्य वर्ग से भरा जा सकेगा।

(5) विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा./पि.व. /वि.पि.व.) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(6) उत्कृष्ट खिलाडियों से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य से ऐसे खिलाडी जिन्होंने अर्न्तराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्टस और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शंतरज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अर्न्तराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :–

> एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आइटम में) या उसकी टीम ने (टीम स्पर्धा में) प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

(7) विज्ञापन जारी होने के पश्चात् यदि राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या मे कमी या बढ़ोत्तरी की जाती हैं तो विभाग द्वारा नियमानुसार उन पदों हेतु भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये अलग से विज्ञापन जारी नहीं किया जायेगा ।

(8) भूतपूर्व सैनिको के आरक्षित पदो के विरूद्ध आवेदन करने वाले आवेदको को आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक तक सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है। अन्यथा उसे आरक्षण का लाभ देय नही होगा। भूतपूर्व सैनिक के आश्रितो को भूतपूर्व सैनिको के आरक्षित पदो का लाभ देय नही होगा।

(9) उक्त पदों की कार्य प्रकृति को देखते हुए इन पदों पर निःशक्तजनों का आरक्षण देय नहीं होगा।

आयुः—

आवेदक, **1 जनवरी, 2014** को **18** वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और **35** वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि उक्त अधिकतम आयु सीमा में —

(1) कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के अनुसार गत वर्षों में वाहन चालक के पदों पर भर्ती नहीं किये जाने के कारण अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की शिथिलता देय होगी।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यार्थियो के मामलें में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(5) राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर नियुक्त कार्मिकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। यह छूट अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्तियों के मामले में लागू नहीं होगी।

(6) रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा सेवा कार्मिकों और भूतपूर्व सेवा कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।

(7) भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष में सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलन योग्य होगी ।

(8) विधवाओं और विवाह विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।
स्पष्टीकरण : यह है कि विधवा को अपने पति की मृत्यु का प्रमाण—पत्र सक्षम अधिकारी का प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह विछिन्न महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।

(9) उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका या और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

(10) एन.सी.सी. के कैडिट—प्रशिक्षकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालाविधि के बराबर छूट की जायेगी और यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।

(11) अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी बशर्ते कि वह दोषसिद्धि से पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

(12) राजकीय अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागो/उपक्रम, राज्य सरकार के निगमों/बोर्ड/आयोगों मे वाहन चालन का 2 वर्ष या अधिक का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में उनके प्राप्त अनुभव की अवधि के बराबर अधिकतम आयु मे छूट दी जा सकेगी। लेकिन अनुभव जोड़ने पर भी अधिकतम 5 वर्ष तक अर्थात 40 वर्ष की आयु तक की ही अधिकतम छूट दी जा सकेगी। वाहन चालन अनुभव का प्रमाण पत्र संबंधित विभागाध्यक्ष/उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी से जारी किया होने पर ही मान्य होंगे, जिसमें अनुभव की अवधि के दिनांकों का उल्लेख आवश्यक है।

भर्ती हेतु पात्रता/योग्यता/छूट/अयोग्यता :

अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन/नागरिक होना चाहिये।

क्र.स.	नाम पद	पात्रता
1	वाहन चालक	1 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं/बोर्ड से न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2 हल्का एवम् भारी वाहन चलाने का स्थाई लाईसेन्स। 3 वाहन चालक के रुप में तीन वर्ष का वाहन चलाने का अनुभव। 4 वजन 65 किलोग्राम से अधिक न हो 5 आखों की दृष्टि चश्मा रहित/सहित– 6 x 6 6 वाहन की रोड़ साईड़ रिपेयर का ज्ञान और वाहन चालन की दक्षता की जाँच ट्रेड टेस्ट द्वारा ली जावेगी।

नोटः–

1. आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 29.07.2013 को उक्त पात्रता अनुसार वाहन चालक पद के लिये तीन वर्ष का हल्के एवम् भारी वाहन चलानें का लाईसेन्स एवं अनुभव आवश्यक रूप से होना चाहिये। उक्त वर्णित पात्रता के दस्तावेजो के सत्यापन पश्चात ही ट्रेड टेस्ट के लिये बुलाया जायेगा। पात्रता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे। ऐसे अभ्यार्थियो को आवेदन शुल्क भी नहीं लौटाया जावेगा।

नियुक्ति के लिये अयोग्यताः–

(1) कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

(2) कोई महिला अभ्यर्थी जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से ही कोई जीवित पत्नी है सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नही होगी।

(3) कोई विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नही होगा/होगी यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।
स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजनार्थ दहेज का वही अर्थ होगा जो इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) मे दिया गया है।

(4) राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

(5) राजस्थान लोक सेवा आयोग /राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस सीधीभर्ती हेतु आवेदन नहीं कर पाएगें।

(6) ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके 1.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होतीः–
परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

वेतनमान एवम् पेंशनः—

संशोधित वेतनमान रनिंग पे बैंड—1, रूपये 5200—20200, ग्रेड पे— रू. 2400/—

''ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और पद के विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जायेगा।''

पेंशनः— नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.01.2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

परिवीक्षा काल (प्रोबेशन) / प्रशिक्षण/ अन्य सुविधाएं : प्रथम दो वर्ष तक समेकित पारिश्रमिक रू० 7900/— प्रतिमाह तत्पश्चात परीवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर उपरोक्तानुसार नियमित वेतन एवम् नियमानुसार भत्ते देय होगे।

मंहगाई भत्ता : नियमानुसार ।

मुख्यालयः— कार्यालय जिला कलक्टर पूल।

चयनित अभ्यार्थियो की सेवायें राजस्थान स्टेट मोटर गैराज के तहत् शासित होगी। चयनित अभ्यार्थियो का पदस्थापन स्टेट मोटर गैराज एवम विभिन्न जिला पूलो के किसी भी कार्यालय में आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

चयन प्रक्रियाः—

विभाग द्वारा ट्रेड टेस्ट आयोजित किया जावेगा, जो 100 अंक का होगा।

ट्रेड टेस्ट की योजना

ट्रेड टेस्ट परीक्षण मे पास होना अनिवार्य है, इस हेतु अंको का आवंटन निम्नानुसार है।

- ड्राईविंग टेस्ट के **50 अंक**,
- सिम्यूलेटर टेस्ट के **15 अंक**
- रोड़ साईड़ रिपेयर का ज्ञान **25 अंक**
- राजकीय अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागो/उपक्रम, राज्य सरकार के निगमों/बोर्ड/आयोगों मे वाहन चालन अनुभव अधिकतम **10 अंक**

राजकीय अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागो/उपक्रम, राज्य सरकार के निगमों/बोर्ड/आयोगों मे वाहन चालन अनुभव की गणना निम्नानुसार की जायेगी :—

जिन वाहन चालकों ने राजकीय अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों, राज्य सरकार के निगमों/बोर्ड/आयोगों में पूर्व में संविदा पर अथवा अन्यथा वाहन चलाया हो तो उन्हें अधिकतम 10 अंक दिये जायेगें जो निम्नप्रकार देय होंगे—

(अ) 2 वर्ष का अनुभव पूर्ण होने पर — 2 अंक
(ब) 3 वर्ष का अनुभव पूर्ण होने पर — 3 अंक
(स) 4 वर्ष का अनुभव पूर्ण होने पर — 5 अंक
(द) 5 वर्ष या अधिक का अनुभव होने पर — 10 अंक

उक्त पद पूर्णतया तकनिकी कार्य से संबंधित हैं अतः इन पदों पर चयन की पात्रता हेतु ट्रेड टेस्ट मे सफल होना आवश्यक है, तदोपरान्त ही अनुभव के अंको की गणना की जावेगी।

चयनः—

a. उक्त संचालित ट्रेड टेस्ट में सफल रहे अभ्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर अवधारित योग्यता क्रम में चयन किया जावेगा।

c. वाहन चालको के पद की भर्ती के लिए मौखिक साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

आवेदन पत्र भरने एवं जमा कराने की अंतिम तिथि–

आवेदन पत्र पूर्ण रुप से निर्धारित प्रारुप मे भरे हुये एवं "वाहन चालक के पद के लिये आवेदन" लिफाफे पर अंकित कर **<u>अन्तिम तिथि दिनांक .... 2013 को सायं 5.00 तक</u>** व्यक्तिशः या रजिस्टर्ड डाक द्वारा निम्न पते पर भेजना होगा– **"संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय(राज.)"। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।**

आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है–

a. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से 8 वीं परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका की सत्यापित प्रति।
b. आयु प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति।
c. वाहन चालन के तीन वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की मूल प्रति । और
यदि राजकीय अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों, राज्य सरकार के निगमों/बोर्ड/आयोगों में पूर्व में संविदा पर अथवा अन्यथा वाहन चालन का अनुभव हो तो अनुभव प्रमाण–पत्र की मूल प्रति ।
d. हल्के एवम् भारी वाहन चलाने के लिये वैध ड्राईविंग लाईसेन्स की सत्यापित प्रति।
e. जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति।
f. वजन 65 किलो से अधिक ना हो एवम् आखों की दृष्टि चश्मा रहित/सहित 6 x 6 के संबंध में सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण–पत्र।
g. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राजस्थान का मूल निवास प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति।
h. यदि आवेदक राजकीय कर्मचारी है, तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र एवम् नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
i. भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज होने का प्रमाण–पत्र/पेंशनर होने का प्रमाण पत्र।
J. 8X5 साईज का स्वयं का पता लिखा एवं 25 रूपये का ड़ाक टिकिट लगा लिफाफा।
k. नोटरी से सत्यापित 10 रुपये के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र निर्धारित प्रारुप मे।
l. संतान संबंधी प्रमाण पत्र।
m. विवाहित होने पर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।

नोटः–

1. अभ्यर्थियो को ट्रेड टेस्ट में बुलाये जाने पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
2. विभाग द्वारा ट्रेड टेस्ट परीक्षण का स्थान व दिनांक के लिये पृथक से सूचित किया जावेगा।
3. विभाग द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण ट्रेड टेस्ट आयोजन के दिनांक व स्थान में परिवर्तन किया जा सकेगा।

<u>आवेदन शुल्कः–</u>

(1) सामान्य/पिछडे वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के आवेदन हेतु (जिसमें पि.व. क्रिमीलेयर के आवेदक व अधोवर्णित श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों के आवेदक सम्मिलित है) – रू. 300/– का निर्धारित आवेदन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो **"संबंधित जिले के जिला कलक्टर** ' के नाम से संबंधित जिले में देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी हैं– रू. 150/– का निर्धारित आवेदन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो **"संबंधित जिले के जिला कलक्टर** ' के नाम से संबंधित जिले में देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

नोटः (1) राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के अभ्यार्थियो एवम् राजस्थान राज्य के अ.पि.वि./वि.पि.व. के क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यार्थियो को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदक सामान्य श्रेणी का आवेदन भर कर आवेदन करे।

(2) सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी, विभाग को ऐसी फीस का संदाय करेगा जो उनके द्वारा समय–समय पर निश्चित की जाये तथा ऐसी रीति से करेगा जो विभाग द्वारा दर्शायी जाये।

(3) आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जायेगा।

विशेष नोटः–

- यदि कोई आवेदक आवेदन में उल्लेखित सूचना के आधार पर वाहन चालक के पद के लिए उल्लेखित अर्हताओं की पूर्ति नहीं करता है तो ट्रेड टेस्ट के लिए अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्तनीय होगा तथा ऐसे आवेदकों को उनके द्वारा जमा कराया गया आवेदन शुल्क, प्रतिदाय (**Refund**) नहीं किया जायेगा ।
- भर्ती के सम्बन्ध में किसी तरह का अन्य पत्राचार/सिफारिश स्वीकार नही होगी, सिफारिशी पत्र प्राप्त होने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा। अभ्यार्थियो का चयन "**संबंधित जिले के जिला कलक्टर** 'द्वारा **निर्धारित मेरिट** के आधार पर किया जायेगा।

महत्वपूर्ण जानकारीः–

1. संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों में किया जायेगा।
2. आवेदक आवेदन करने से पूर्व स्वंय सुनिश्चित कर लें कि आवेदक उपरोक्त विज्ञापित पद "**वाहन चालक**" के लिए पात्रता रखते है अन्यथा आवेदन न करें। किसी भी तरह अभ्यर्थी के अयोग्य पाये जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसमें यह विभाग किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा।
3. अधोहस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त विज्ञापन को कारण बताए बगैर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

जिला कलक्टर

जिला कलक्टर पूल.....................
में वाहन चालक के पद हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2013–2014

कार्यालय उपयोग हेतु	
आवेदन प्राप्ति क्रमांक	
आवेदन प्राप्ति दिनांक	

1 आवेदक का नाम ....

(हिन्दी में) ....

महिला	पुरूष

(√) लगायें

हाल का खिचा हुआ फोटो जो कि राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होना चाहिये

4 X 3.5 सेमी

2 पिता/पति का नाम ....

3 माता का नाम ....

4 स्थाई पता ग्राम/गली/मोहल्ला..पोस्ट ऑफिस .... तहसील..............................

जिला................................प्रान्त..

5 पत्र व्यवहार का स्पष्ट एवं पूर्ण पता..

पिन कोड..मो.नं..

6 जन्म दिनांक (01.01.2014) को

दिनांक		माह		वर्ष			

(शब्दो में ....

7 शैक्षणिक योग्यता

परीक्षा का नाम	संकाय	वर्ष	उत्तीर्ण / श्रेणी/प्रतिशत	बोर्ड/विश्विधालय का नाम
आठवीं				
सैकेण्ड्री				
सिनियर सेकेण्ड्री				
स्नातक				
स्नातकोत्तर				
अन्य				

8 तकनीकी योग्यताऐं ....

(i) हल्के वाहन का ड्राईविंग लाईसेन्स नं. ....जारी किये जाने की तिथि.........................वैधता..................

(ii) भारी वाहन का ड्राईविंग लाईसेन्स नं. ....जारी किये जाने की तिथि........................वैधता ....

9 तीन वर्ष का हल्के/भारी वाहन चालन अनुभव ....

10 वजन ....

11 आखों की दृष्टि चश्मा रहित/सहित ....

12 वर्ग का नाम (√) लगायें

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछडा वर्ग	सामान्य वर्ग

भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाडी	

SC/ST/ OBC/ Ex Service Man के अभ्यार्थी अधिकृत अधिकारी से जारी किया हुआ प्रमाण–पत्र संलग्न करे।

13 आवेदन शुल्क का विवरण :–

क्र. सं.	डी.डी. संख्या	दिनांक	बैंक का नाम व शाखा का पता	राशि

14 अपराधिक विवरण/परीक्षा भर्ती बोर्ड से निष्कासित यदि कोई हो तो पूर्ण विवरण दिया जावे। ....

15 राजकीय सेवामें कार्यरत कर्मचारी सेवा का विवरण (आवेदन उचित माध्यम से नियमानुसार करे) ....

दिनांक............ आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान..............

घोषणा

मै घोषणा करता/करती हूँ कि मै विज्ञप्ति के अनुसार ट्रेड टेस्ट में सम्मिलित होने की पात्रता रखता हूँ/रखती हूँ एवं मेंरे द्वारा आवेदन पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 1 से 15 तक की प्रत्येक सूचना पूर्णतः सत्य है। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान/पश्चात् उक्त सूचना मे कोई असत्यता पाई जाती है तो आवेदन निरस्त किया जा कर मेरे विरूद्व विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

दिनांक............ आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान..............

शपथ पत्र

मैं.. पुत्र/पत्नि श्री ....

निवासी..सशपथ पूर्वक

स्वीकार करता/करती हूँ और घोषणाकर्ता करता/करती हूँः–

1. यह है, कि मै ....

   ....का निवासी हूँ।

2. यह है, कि मुझे असावधानी पूर्वक वाहन चलाने के लिये मोटर व्हीकल एक्ट/आई.पी.सी. के अन्तर्गत किसी दण्ड से दण्डित नही किया गया है एवम् मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार का वाद न्यायालय में लम्बित नही है।

स्थानः–   शपथ ग्रहिता

दिनांकः–

सत्यापन

यह सत्यापित किया जाता है, कि उपर वर्णित पैरा संख्या 1 व 2 में दिये गये समस्त तथ्य मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सही व सत्य है, इसमें कोई तथ्य नही छिपाया गया है।

स्थानः–   सत्यापनकर्ता

दिनांकः–